न्यायालय श्री ए0एच0 गौरी, आर0ए0एस0, उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

प्रकरण संख्या : 2/2018

करणी सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बीठनोक तहसील कोलायत जिला बीकानेर — अपीलान्ट

बनाम

1. जीवणी पत्नी नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बीठनोक
2. पदम सिंह
3. रूखमा } पि0 रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी बीठनोक
4. राजस्थान सरकार — रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमान गिरी, अभिभाषक अपीलार्थी।
2. श्री हरिराम विश्नोई एडवोकेट (रेस्पो0 सं0 1 से 3 की तरफ से)
3. श्री दामोदर दास व्यास, पैरोकारराज

निर्णय

दिनांक :– 01–05–2018

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी की ओर से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत आज्ञा विरूद्ध उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नम्बर 1 मुकाम कोलायत के नामान्तरणकरण संख्या 2251 दिनांक 3–10–2008 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 05–02–2018 को प्रस्तुत की गई हैं।

संक्षेप में अपील प्रकरण से संबंधित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी को ग्राम रोही बीठनोक तहसील कोलायत स्थित खेत ख.नं. 41/1 तादादी 186.17 बीघा ,ख0न0 747रकबा 162.6 बीघा , ख.न.903 में 83बीघा कुल 474.3 बीघा खातेदारी भूमि संयुक्त खाते मे रेस्पोडन्ट स0 1 से 3 व अन्य सहकाश्तकारो के नाम दर्ज है।

उक्त रकबा पूर्व मे अपीलान्ट की दादी छोगी पत्नि रेवन्तसिहं के नाम से संयुक्त खाते मे स्थित थी । छोगी फौत हो चुकी है जिनके जायज वारिस निम्न है:–

छोगी पत्नि रेवन्तसिहं फौत नारायणसिहं पुत्र फौत जीवणी पत्नि ,करनीसिहं पुत्र , पदमसिहं पुत्र , रूखमा पुत्री है।

अपीलाधीन भूमि मे छोगी का हिस्सा 1/12 है जिसमे अपीलान्ट का नाम विरासतन मे दर्ज होना चाहीए था। रेस्पोडेन्ट स0 1 से 3 के अलावा अन्य सह काश्ताकारो से अपीलान्ट का कोई हित नही है । इसलिये पक्षकार नही बनाये गये है ।

अपीलाधीन भूमि पूर्व मे सह काश्तकारों के नाम से खाता विभाजन होकर अलग–अलग दर्ज कर दी थीं। परन्तुत न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 29.1.08

की पालना में भूमि संयुक्त की गई जो इंतकाल सं0 2251 दिनांक 3.10.08 के द्वारा की गई। उक्त इंतकाल में अपीलांट का नाम छोड दिया गया हैं जबकि अपीलांट छोगी पत्नि रेवंतसिंह का जायज वारिस हैं। इसलिए इंतकाल सं0 2251 निरस्त योग्य हैं।

उपरोक्त भूमि की गिरदावरी की नकल लेने के लिये दिनांक 3.1.18 को हल्का पटवारी के पास गया तो हल्का पटवारी ने रिकार्ड देखकर बताया कि उक्त भूमि मे आपका नाम नही हैं। केवल रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 का नाम दर्ज हैं तब अपीलांट ने दिनांक 3.1.18 को इंतकाल सं0 2251 की नकल लेने के लिये प्रार्थनापत्र पेश किया जो दिनांक 4.1.18 को नकल तैयार होकर प्राप्त की व वकील से सलाह मशविरा करके उक्त अपील सर्वप्रथम जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की गई हैं। अपील सर्वप्रथम जानकारी से अंदर मियाद शुमार फरमाई जावें। अपील अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरण सं0 2251 दिनांक 3.10.08 ग्राम बीठनोक को निरस्त फरमाते हुवे अपील स्वीकार फरमाई जावे।

इस अपील के रेस्पोडेंट राज्य को नोटिस किया गया जिस पर राज्य की ओर से पैरोकाराज उपस्थित आये तथा रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के विरूद्व दिनांक 12.3.18 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 की ओर से श्री हरिराम विश्नोई एडवोकेट ने दिनांक 26.3.18 को वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रकरण मे आगे की कार्यावाही मे भाग लिया अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड भी तलब करने पर दिनांक 14–3–2018 को न्यायालय में प्राप्त हुआ,जो शामिल मिसल कराया गया।

बहस योग्य अभिभाषक अपीलार्थी एवं पैरोकारराज सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों में दर्ज समस्त तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की नामांतरकरण में अपीलांट का नाम छोड दिया गया जबकि अन्य भूमि में नाम हैं इस भूमि का राजस्व अपील अधिकारी द्वारा जो निर्णय हुआ उसमे भी अपीलांट का नाम हैं। फार्म नं0 3 में अपीलांट अभिभाषक द्वारा दस्तावेज पेश किये गये। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक श्री हरिराम विश्नोई ने अभिभाषक अपीलान्ट के कथन पर कोई आपत्ति नही की हैं।

राज्य की ओर से उपस्थित पैरोकारराज ने दफा 5 का औपचारिक जवाब प्रस्तुत करने के स्थान पर अपनी बहस में बताया कि उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत की आज्ञा दिनांक 3–10–2008 के विरूद्ध अपील न्यायालय में दिनांक 5–2–2018 को प्रस्तुत की गई हैं जो करीब 10 वर्ष देरीना हैं। देरी के कारण संतोषप्रद व युक्तियुक्त आधार अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित नहीं किये हैं। अस्तु अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर हैं जो इसी आधार पर निरस्त योग्य हैं जो निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों को भी बगौर देखा हैं तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया हैं। प्रस्तुत अपील तहसीलदार के आज्ञा दिनांक 3–8–08 के विरूद्ध दिनांक 5–2–2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं जो करीब 10 वर्ष की अवधि गुजर जाने के उपरान्त प्रस्तुत की गई हैं जो स्पष्ट रूप से काफी विलम्ब से पेश की गई हैं, जबकि प्रथम अपील प्रस्तुत करने के कानून में 30 दिवस निर्धारित हैं। अपील के साथ दफा 5 मियाद कानून का प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र में

अपीलार्थी द्वारा जो तथ्य देरी के संबंध में उल्लेखित किये हैं । लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा मियाद के प्रार्थना पत्र के विरूद्व कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया हैं तथा मियाद के बिन्दु पर कोई आपत्ति नही की है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ तथा मियाद दफा 5 के आवेदन पत्र पर विश्वास करते हुए अंदर मियाद अंदर शुमार की जाती हैं। जहां तक अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2251 का प्रश्न है। यह नामान्तरकरण न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 29–01–2008 की पालना में दर्ज किया गया है। उक्त निर्णय के द्वारा न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 21–06–2004 को अपास्त करते हुए प्रकरण सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है। उक्त प्रकरण में रिमाण्ड प्रकरण का क्या निर्णय/आदेश हुआ वो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्या यह प्रकरण वर्तमान में भी लम्बित है। यह प्रश्न अनुत्तरित है। इसके अलावा नामान्तरकरण के अन्य पक्षकारों को अपील में पक्षकार नहीं बनाया जाना भी कानूनी रूप से चूक है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार का मूल आदेश नहीं होकर न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में दर्ज किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01–05–2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(ए0एच0 गौरी)
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर